संख्या: 108/2018/2117/छप्पन-2018-31/2016

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. कलैक्टर,
गौतमबुद्ध नगर।

2. निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 30 अक्टूबर, 2018

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के विकास के लिए "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा-11(1) के अन्तर्गत कुल 1239.1416 हैक्टेयर भूमि अर्जन की अधिसूचना।

महोदय,

नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के विकास के लिए "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा-11(1) के अन्तर्गत कुल 1239.1416 हैक्टेयर भूमि अर्जन की अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 को जारी कर दी गई है।.

भूमि अर्जन हेतु अधिसूचना के समुचित प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा-11(1) के अन्तर्गत निम्नवत् व्यवस्था विहित है:-

11.(1) जब कभी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में भूमि की किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की सम्भावना है, तब उस आशय की, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली भूमि के ब्यौरों सहित, एक अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रारम्भिक अधिसूचना कहा गया है) निम्नलिखित रीति में प्रकाशित की जाएगी, अर्थात्:-

(क) राजपत्र में;

2/...

(ख) ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में,जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा;

(ग) यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में तथा जिला कलैक्टर, उपखंण्ड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में;

(घ) समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा;

(ड) प्रभावित क्षेत्रों में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए।

2- इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि:-

(1) उपर्युक्त बिन्दु 'क' के सम्बन्ध में विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रश्नगत सूचना को राजकीय मुद्रणालय के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित कराने की व्यवस्था कराई जाएगी।

(2) उपर्युक्त बिन्दु 'ख' के सम्बन्ध में कार्यवाही निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(3) उपर्युक्त बिन्दु 'ग' के सम्बन्ध में कार्यवाही कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(4) उपर्युक्त बिन्दु 'घ' के सम्बन्ध में कार्यवाही निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(5) उपर्युक्त बिन्दु 'ड' के सम्बन्ध में कार्यवाही आवश्यकतानुसार कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के स्तर से सुनिश्चित की जाएगी।

3- इस सम्बन्ध में **अधिसूचना की अंग्रेजी एवं हिन्दी की छायाप्रतियॉ संलग्न कर** प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया समस्त सम्बन्धित पक्ष उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक सुनिश्चित करने और कार्यवाही सम्पादन विषयक आख्या अभिलेखीय प्रमाण सहित शासन को दिनांक 02 नवम्बर, 2018 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

30.10.18

(सूर्य पाल गंगवार)

विशेष सचिव